

कार्यालय जिला परिषद् मधुबनी

प्रेस नोट

शुद्धि पत्र

मधुबनी जिले में हरलाखी विधानसभा उप चुनाव आदर्श आचार संहिता के कारण कार्यालय के पत्रांक : 415 दिनांक : 20.01.2016 के द्वारा स्थगित नियोजन प्रक्रिया दिनांक : 26.02.2016 को सम्पन्न करायी जाएगी।

जिला परिषद् पुस्तकालयध्यक्ष नियोजन 2015 हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधुबनी से प्राप्त घोषणा-पत्र के आधार पर दिनांक- 21.12.2015 को काउन्सिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पुस्तकालयध्यक्ष नियोजन हेतु विद्यालय के लिए सहमति लेते हुए संशोधित नियमावली 2014 (कैम्प) के अनुसार अभ्यर्थियों को निर्मित मेधा सूची के आधार पर एक अभ्यर्थी को तीन वार नाम पुकार कर बुलाया जाएगा, उनके अनुपस्थित रहने पर अगले अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। नाम पुकारे जाने के समय अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी पर बाद में उपस्थित होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कैम्प के माध्यम से दिनांक 26.02.2016 को जिला परिषद् कार्यालय, नया भवन मधुबनी में 12-30 बजे अपराहण में उपस्थिति दर्ज करायी जाएगी तथा विद्यालय में पदस्थापन हेतु सहमति पत्र, विद्यालय चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी चयनित अभ्यर्थी अपने साथ सभी मूल शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक (अंक-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र)/ जाति/ आवासीय आदि प्रमाण पत्र, 2 फोटो एवं इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा की पुस्तकालयध्यक्ष के रूप किसी भी नियोजन इकाई में नियोजित नहीं हूँ साथ ही शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सही एवं वैध है गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कारवाई करने के लिए नियोजन इकाई स्वतंत्र होगी। बी0लिव0 का मूल प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करा लिया जाएगा। बी0लिव0 का मूल प्रमाण-पत्र नहीं रहने पर आपका दावा समाप्त समझा जाएगा। सभी प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होकर सहमति दर्ज करेंगे। सभी प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति कार्यालय में जमा करना सूची NIC एवं शिक्षा विभाग के वेवसाइट पर देखी जा सकती है।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, मधुबनी।